

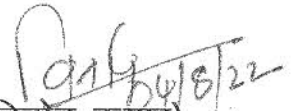
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 04/08/2022

संख्या-1/पी0-1022/2000 का०- 4958 / विभागीय अधिसूचना संख्या-3196, दिनांक 23.05.2022 जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से. (झा:2013) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (लेवल-12) में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी गयी है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे, के क्रम में उनके द्वारा पद धारित किये जाने की तिथि से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी, राँची के भा.प्र.से. के गैर संवर्गीय पद को कर्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. वेतन नियमावली-2007 के नियम-9(1) (2) (3) एवं भा.प्र.से. वेतन नियमावली-2016 के नियम-12 (1) (2) (3) के अन्तर्गत कनीय प्रशासनिक ग्रेड में संवर्गीय पद (अपर सचिव स्तर) के समकक्ष घोषित किया जाता है।

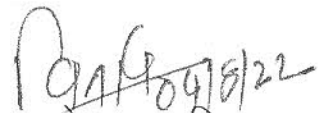
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/पी0-1022/2000 का० - 4958 / राँची, दिनांक 04/08/2022

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।